न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकारण संख्या 03/2021

श्रीमती निशा पुत्री स्व0 श्री जनक राज, पत्नी नरेश कुमार, जाति ब्राहम्ण (शर्मा), आयु 54 वर्ष, निवासी 3/32 हाउसिंग बोर्ड, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

– – प्रार्थीया

बनाम

1. पकंज शर्मा पुत्र स्व0 श्री जनक राज शर्मा निवासी वार्ड नं0 15/21 पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर ।
2. श्रीमती सरोज पत्नी स्व0 श्री जनक राज शर्मा निवासी वार्ड नं021 15, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर ।
3. श्रीमती रेणु शर्मा पुत्री स्व० श्री जनक राज पत्नी श्री अशवनी शर्मा निवासी 8 ए 26 जवाहर नगर, तह० व जिला श्रीगंगानगर ।
4. श्रीमती इंदू भार्गव पुत्री स्व० श्री जनक राज, पत्नी श्री राजिव भार्गव निवासी 80/134, पटेल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर (राज0)
5. स्टेट ऑफ राजस्थान द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर

–– अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 212 राज. काश्त. अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री सुभाष मिढढ़ा – – प्रार्थीया
2. श्री सुरेन्द्र सिंह भनौत – – अप्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :–24.12.2025

प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि उक्त शीर्षक का दावा श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसके स्वीकार होने की पूर्ण आशा है। दावा में वर्णित तथ्य इस प्रार्थना पत्र का भाग समझा जावे तथा प्रार्थना पत्र के साथ पढ़े जावे। प्रार्थीया श्रीगंगानगर की स्थाई निवासी है तथा प्रार्थीया का पेशा काश्तकारी है। प्रार्थीया के दादा श्री जगदीश शर्मा के नाम से चक 16 एम0एल0 के खाता संख्या 27/24 तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 21 व 23 में 9 बीघा 15 बिस्वा कृषि भूमि खातेदारी थी, जो उनके जीवनकाल में प्रार्थीया के पिता द्वारा काश्त की जाती थी। श्री जगदीश शर्मा जीवन पर्यन्त प्रार्थीया के पिता के पास रहे तथा प्रार्थीया के पिता की सेवा से प्रसन्न होकर उपरोक्त भूमि 9 बीघा 15 बिस्वा उनके देहान्त उपरांत प्रार्थीया के पिता को बतौर विरास्तन प्राप्त हुई, राजस्व रिकार्ड की नकल

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned with OKEN Scanner

संलग्न है। प्रार्थीया के पिता श्री जनक राज को उपरोक्त रकबा पूर्वजों से प्राप्त हुआ जो कि जद्दी जायदाद है तथा पूर्वजों से प्राप्त रकबा में प्रत्येक वारिसान का उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार बहिस्सा बराबर का हक बनता है। प्रार्थीया के पिता श्री जनकराज ने अपने जीवनकाल में दो विवाह किए थे जो कि प्रथम पत्नी का नाम संतोष व द्वितीय पत्नी का नाम सरोज है। श्री जनकराज की वंशावली निम्न प्रकार है :–

यह कि स्व० जनकराज जी का अपनी सभी संतानों के साथ पूर्ण स्नेह व प्यार रहा है। उनके द्वारा अपने जीवनकाल में कभी भी पक्षपात नहीं किया, ना ही बेटा–बेटी के सम्बंध में कोई (फर्क) अंतर रखा, प्रार्थीया के पिता स्व० जनकराज काफी अस्वस्थ रहे तथा उस दौरान में विभिन्न–विभिन्न अस्पतालों में जैर ईलाज रहे, तब प्रार्थीया व अन्य बहनों का भी पिता के घर पर आना–जाना रहा तथा सुख–दुख में पूर्ण रूप से पैतृक घर पर रूकना व पिता की देखभाल करती रहीं है। जब पिता कुछ स्वस्थ हुए तो अप्रार्थी संख्या 1 को साथ लेकर प्रार्थीया के घर पर आये तथा बातों–बातों में उनके द्वारा प्रार्थीया को यह कहा कि मैंने उपरोक्त प्रश्नगत भूमि में से कुछ भूमि को विक्रय कर अप्रार्थी संख्या 1 को अन्य भूमि चक 16 एम0एल0 में क्रय कर अप्रार्थी के नाम लगा दी है तथा अब चक 16 एम0एल0 की जो शेष भूमि मु0नं0 21 में किला नं0 24/1 में 0.0250 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 23 के किला नं0 4 में 0.253 हैक्टेयर, किला नं0 5/1 में 0.126 हैक्टेयर, किला नं0 7 में 0.253 हैक्टेयर, किला नं0 14/1 में 0.060 हैक्टेयर, किला नं० 15/2 में 0.041 हैक्टेयर, इस प्रकार से 0.758 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि है, वह राजस्व रिकार्ड में मेरे नाम है, जब तक मैं जीवित हूं, मैं मालिक हूं, मेरे बाद इस रकबा की आप तीनों बहनों अर्थात् प्रार्थीया व अप्रार्थीया संख्या 3 व 4 बहिस्सा बराबर मालिक होंगी। प्रार्थीया के पिता स्व० जनकराज द्वारा कोई वसीयत अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से नहीं की, अगर वसीयत करते तो स्पष्ट रूप से बतलाते। चूंकि उनके द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष भूमि बहनों की होने का कहा जिस पर पूर्ण जानकारी हुई तब अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने मिलीभगत कर उनके अस्वस्थ होने का लाभ उठाते हुए तथा कथित वसीयतनामा दिनांक 10–06–2011 को तैयार कराया जिसका पंजीयन, उप पंजीयक कार्यालय, श्रीगंगानगर के कर्मचारियों से मिलीभगत कर दिनांक 16–06–2011 को कराया गया। अगर श्री जनक राज जी स्वस्थ होते व स्वेच्छा से वसीयत करते तो उसी रोज ही निष्पादन कराते इस से स्पष्ट होता है कि तथाकथित दस्तावेज तैयार किया गया है। उपरोक्त तथाकथित वसीयत के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार गंगानगर के समक्ष कार्यवाही नामांतरण की, जिस पर बिना विधिक औपचारिकता पूर्ण किए कार्यवाही कराकर दिनांक 22–02–2018 को भूमि अपने नाम से करा लिया, जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थीया दिनांक 16–03–2020 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के निवास पर गई तथा उनके सम्पर्क कर प्रश्नगत भूमि जो पिता द्वारा प्रार्थीया व बहनों की दिये जाने का कहा था, उसकी आपने अपने नाम कैसे लगा ली, यह भूमि तो हम बहनों की बहिस्सा बराबर है । जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा कहा कि आपके पिता ने वसीयत की थी, उस आधार पर लगी है व 1. टाल–मटोल करने लगे। इस पर कोविड–19 का प्रकोप होने के कारण कार्यवाही होना संभव नहीं हुआ। इस दौरान अब जब कोविड 19 का प्रभाव कम हुआ तथा प्रार्थीया द्वारा प्रश्नगत भूमि के सम्बंध में

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned with OKEN Scanner

जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि अप्रार्थी उक्त तमाम भूमि को अपनी बताकर विक्रय करने की कोशिश कर रहा है, जिस पर प्रार्थीया द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 26–11–2020 को अपील प्रस्तुत कर रखी है। अप्रार्थी अब प्रश्नगत भूमि को अपनी बताकर विक्रय करने की कोशिश कर रहा है, जबकि उक्त भूमि का अप्रार्थी किसी भी प्रकार से अकेला मालिक नहीं है क्योंकि उसे पिता स्वर्गीय जनकराज द्वारा अलग से भूमि अपने जीवनकाल में खरीद कर दे रखी है। उक्त भूमि की मालिक प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 3 व 4 बहिस्सा बराबर है, जिसमें प्रार्थीया 1/3 हिस्सा की मालिक व हकदार है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 प्रश्नगत कृषिभूमि को विक्रय करता है तो प्रार्थीया अपने हक से वंचित हो जावेगी तथा प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति कारित होगी तथा प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में है । वाद पत्र के विचारण में काफी समय लगेगा ऐसी ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा का जारी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अस्थाई निषेद्याज्ञा इस अमर की जारी की जावे कि ताफैसला दावा अप्रार्थीगण, प्रश्नगतग भूमि वाके चक 16 एम0एल0 मुरब्बा नं. 21 के किला नं. 24/1 में 0.0250 हैक्टेयर, मुरब्बा नं. 23 के किला नं. 4 में 0.053 हैक्टेयर, किला नं. 5/1 में 0.126 हैक्टेयर, किला नं. 7 में 0.253 हैक्टेयर, किला नं. 14/1 में 0.060 हैक्टेयर, किला नं. 15/2 में 0.041 हैक्टेयर, कुल 0.758 हैक्टेयर नहरीको रहन बैय आदि करने से बाज व ममनू रहे ।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 के कथन स्वीकार नहीं है एवं प्रार्थीया का यह कथन प्रार्थीया के दादा श्री जगदीश शर्मा के नाम से चक 16 एम एल के खाता संख्या 27/24 तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 21 व 23 में 9 बीघा 18 बिस्वा कृषि भूमि खातेदारी थी और उनके जीवन काल में वादिया के पिता के द्वारा काश्त की जाती थी। वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि चक 16 एम एल तहसील श्रीगंगानगर में 39 बीघा 6 बिस्वा कृषि भूमि सर्वश्री केदार नाथ शर्मा, जनक राज शर्मा, बलदेव राज शर्मा व सुभाष शर्मा के द्वारा खरीद की हुई कृषि भूमि थी और चारों में परस्पर बंटवारा के उपरान्त मुरब्बा नम्बर 21 व 23 की 9 बीघा 18 बिस्वा भूमि श्री जनक राज शर्मा के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हुई। इनमें विभाजन सन् 1992 में हुआ है और इससे पूर्व संयुक्त काश्त में यह कृषि भूमि थी और विभाजन के बाद 9 बीघा 18 बिस्वा भूमि श्री जनक राज शर्मा के कब्जा काश्त में आई। जगदीश शर्मा के नाम कोई जमीन नहीं थी। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में यह कथन असत्य है कि श्री जगदीश शर्मा जीवन्तपर्यन्त वादिया के पिता के पास रहे तथा प्रार्थीया के पिता की सेवा टहल से प्रसन्न होकर 9 बीघा 18 बिस्वा भूमि उनके देहान्त के उपरान्त प्रार्थीया के पिता को बतौर विरास्तन प्राप्त हुई हो। जैसा कि उपरोक्त चरण में विनिर्दिष्ट रूप से कथन किया गया है कि श्री जगदीश शर्मा के नाम कभी कोई जमीन नहीं रही, इसलिए उनसे किसी प्रकार से विरास्तन भूमि प्राप्त होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। श्री जगदीश शर्मा का देहान्त सन् 1984 में हुआ और उस समय तक पूरा परिवार संयुक्त रूप से रहता था और

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

सब का एक ही चुल्हा था। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 के यह कथन असत्य व निराधार है कि श्री जनक राज को उपरोक्त रकबा पूर्वजों से प्राप्त हुआ हो तथा यह जद्दी जायदाद होने के साथ–साथ पूर्वजों से प्राप्त रकबा में प्रत्येक वारिसान का उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार बराबर–बराबर का हक बनता हो। **उपरोक्त रकबा श्री जनक राज शर्मा की स्वअर्जित सम्पत्ति थी।** प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 के कथनों से कोई विरोध नहीं है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 के कथनों में यह कथन कि श्री जनक राज शर्मा का अपनी सभी सन्तानों के साथ पूर्ण स्नेह व प्यार रहा व उनके द्वारा अपने जीवन काल में कभी भी किसी से पक्षपात नहीं किया गया, स्वीकार है, लेकिन यह कहना असत्य व निराधार है कि श्री जनक राज शर्मा काफी अस्वस्थ रहे। श्री जनक राज शर्मा स्थानीय शुगर मिल में सहायक सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते हुए वहीं से सेवानिवृत हुए एवं सेवानिवृति के 19 वर्ष बाद उनका देहान्त अचानक हृदयघात के कारण हुआ। उनकी मृत्यु तक व तत्पश्चात् ही प्रार्थीया व अन्य बहनों का उनके पास एवं स्वयं उत्तरदाता अप्रार्थी संख्या 1 वा 2 के पास निरन्तर आना जाना बना रहा। यह कहना गलत है कि प्रार्थीया अपने पिता की देखभाल करती रही हो। श्री जनक राज की देखभाल उनकी मृत्यु प्रयन्त उत्तरदाता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा की जाती रही। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 7 में यह कथन कि श्री जनक राज उत्तरदाता अप्रार्थी संख्या 1 को साथ लेकर प्रार्थीया के घर आये तथा बातो–बातों में उनके द्वारा प्रार्थीया को यह कहा कि मैनें उपरोक्त भूमि में से कुछ भूमि को विक्रय कर उत्तरदाता अप्रार्थी संख्या 1 को अन्य भूमि चक 16 एम एल में क्रय करके उनके नाम लगा दी है, बिलकुल असत्य व निराधार कथन है। उत्तरदाता अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा श्री जनक राज शर्मा के द्वारा चक 16 एम एल में विक्रय की गई 6 बीघा भूमि से पहले उत्तरदाता अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा जमीन क्रय की जा चुकी थी। श्री जनक राज शर्मा के द्वारा 6 बीघा जमीन श्रीमती बिमला अग्रवाल धर्मापत्नी श्री बी. डी. अग्रवाल को विक्रय की गई थी और उक्त जमीन को विक्रय किये जाने के उपरान्त मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 24/1 में 0.0250 है., मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 4 में 0.253 है., किला नम्बर 5/1 में 0.126 है., किला नम्बर 7 में 0.253 है., किला नम्बर 14/1 में 0.060 है., किला नम्बर 15/2 में 0.041 है. कुल 0.758 है. कृषि भूमि उनके नाम रही जिसकी वसीयत उनके द्वारा उत्तरदाता अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दिनांक 10.06.2011 को निष्पादित कर उसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय श्रीगंगानगर में दिनांक 16.06.2011 को करवाया। प्रार्थीया का यह कथन बिलकुल असत्य व काल्पनिक है कि स्वर्गीय श्री जनक राज शर्मा के द्वारा प्रार्थीया को यह कहा गया हो कि मेरी मृत्यु के बाद इस रकबा की तीनों बहने अर्थात प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 3 व 4 बहिस्सा बराबर बराबर मालिक होंगी। विधि के अन्तर्गत भी ऐसा कथन सम्भव नहीं है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 8 के कथन स्वीकार नहीं है और प्रार्थीया का यह कथन बिलकुल असत्य व निराधार है कि उत्तरदाता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने मिलीभगत कर श्री जनक राज शर्मा के अस्वस्थ होने का लाभ उठाकर वसीयत तैयार करवाकर उसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय के कर्मचारियों से मिली भगत करके करवाया हो। दिनांक 10.06.2011 को श्री जनक राज शर्मा पूर्णतः स्वस्थ थे और मृत्युपर्यन्त स्वस्थ रहे। वसीयत के निष्पादन के उपरान्त उसका पंजीयन विधि के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अन्तर्गत उसी रोज पंजीयन करवाया जाना आवश्यक नहीं होता। इस वसीयत की जानकारी प्रारम्भ से ही वादिया को भली भांति है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 9 के यह कथन कि तहसीलदार श्रीगंगानगर के द्वारा उक्त जमीन का वसीयत के आधार पर नामान्तरण बिना विधिक औपचारिकताएं पूर्ण किये दिनांक 22.02.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 के नाम करवाना स्वीकार नहीं है। तहसीलदार श्रीगंगानगर के द्वारा वसीयत के आधार पर पूर्ण विधिक औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त ही नामान्तरण दर्ज किया गया और वसीयत के आधार पर नामान्तरण किये जाने से पूर्व अखबार में भी विधिक सूचना तहसीलदार श्रीगंगानगर के द्वारा प्रकाशित करवाई गई कि यदि किसी हितबद्ध व्यक्ति को इस वसीयत के संबंध में आपत्ति हो, तो वह अपने आपत्ति उनके समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने अथवा प्रार्थीया ने उस समय कोई आपत्ति पेश नहीं की। यहां यह उल्लेख करना उचित है। कि अप्रार्थी संख्या 3 व 4 कें द्वारा यह स्वोकृति है कि श्री जनक राज शर्मा के द्वारा अपने जीवन काल में स्वस्थचित व बिना किसी दबाव के उपरोक्त भूमि की वसीयत उत्तरदाता अप्रार्थी संख्या 1 के नाम की। प्रार्थीया का यह कथन भी असत्य व निराधार है कि दिनांक 16.03.2020 को वह उत्तरदाता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के निवास स्थान पर आई हो और प्रश्नगत भूमि को प्रार्थीया व बहनों को दिये जाने हेतु कहा हो और यह कहा हो कि यह जमीन अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अपने नाम कैसे करवा ली गई। जबकि प्रार्थीया को वसीयत के बारे में भली–भांति जानकारी थी। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 10 के कथनों में अतिरिक्त जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थीया द्वारा अपील प्रस्तुत किया जाना स्वीकार है। उत्तरदाता अप्रार्थीगण यह भी निवेदन करना उचित समझते हैं कि वसीयत को लेकर वादिया के द्वारा नियमित सिविल वाद न्यायालय जिला न्यायाधीश, श्रीगंगानगर के समक्ष भी प्रस्तुत किया हुआ है और यह वाद उक्त न्यायालय में वाद शीर्षक श्रीमती निशा बनाम पंकज व अन्य के अनवान से नियमित वाद संख्या 2/2021 पर दर्ज होकर वहां लम्बित है, जिसमें वाद की विषय वस्तु वसीयत है और विधि के अन्तर्गत वसीयत की शुद्धता की जांच का अधिकार सिविल न्यायालय को होता है और इस कारण प्रश्नगत वाद पोषणीय नहीं है। सिविल न्यायालय में वाद प्रार्थीया के द्वारा दिनांक 16.12.2020 को टंकन करवाकर प्रस्तुत किया गया, जबकि प्रश्नगत वाद उसके उपरान्त दिनांक 22.12.2020 को टंकन करवाकर प्रस्तुत किया गया है और इस कारण प्रश्नगत वाद पश्चात्वृति वाद होने के कारण सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 के अन्तर्गत जिला न्यायालय में लम्बित वाद के निर्णय तक स्थगित होने योग्य है और इस हेतु पृथक् से उत्तरदाता अप्रार्थीगण की ओर से आवेदन किया जायेगा। अप्रार्थी संख्या 1 प्रश्नगत भूमि का एकल स्वामी एवं रिकार्डेड खातेदार है और इस भूमि का विधि के अन्तर्गत हर प्रकार से उपयोग व उपभोग करने हेतु स्वतन्त्र है, तदापि अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा प्रश्नगत भूमि को विक्रय करने का न तो कोई प्रयास किया गया है और न ही विक्रय करने का उसका कोई इरादा है। प्रार्थीया का यह कथन बिलकुल मिथ्या व निराधार है कि पिता स्वर्गीय श्री जनक राज शर्मा के द्वारा अपने जीवन काल में अलग से अप्रार्थी संख्या 1 को भूमि क्रय करके दी हो। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा जो भूमि क्रय की गई, वह भूमि स्वयं अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अपने स्तर पर और अपने द्वारा ही प्रतिफल संदाय करके क्रय की गई है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

12 के कथन स्वीकार नहीं है। प्रार्थीया का प्रश्नगत भूमि में कोई हिस्सा नहीं बनता है। विधि के अन्तर्गत प्रार्थीया रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई अन्तरिम व्यादेश प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है । उपरोक्त तथ्यों के परिवेक्ष में प्रार्थीया का न तो कोई प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित होता है और न ही सुविधा सन्तुलन उसके पक्ष में है । अपूर्तिय क्षति का कोई बिन्दु विद्यमान नहीं है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 13 के कथन स्वीकार नहीं है। प्रार्थीया किस प्रकार का कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। अतः जवाब प्रस्तुत करके निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र व्यय सहित खारिज किया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा चक 16 एमएल के किला नम्बर 4 में 0.253 है., किला नम्बर 5/1 में 0.126 है., किला नम्बर 7 में 0.253 है., किला नम्बर 14/1 में 0.060 है., किला नम्बर 15/2 में 0.041 है. कुल 0.758 है. पर स्थगन चाहा गया है। उक्त रकबा जनक राज शर्मा द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जरिए वसीयत दर्ज होकर वसीयत का इंतकाल अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से उक्त रकबा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 रिकॉर्डेड खातेदार है। प्रार्थीया द्वारा चाहया गया स्थगन रिकॉडेड खातेदार के विरूद्ध चाहा गया है, जबकि प्रार्थीया के हक व हिस्सा वादग्रस्त आराजी में है अथवा नहीं इसका निर्धारण वाद में वर्णित अभिलिखित अभिवचनो एवं जमाबंदी दस्तावेजात के आधार पर वाद में तनकी कायम कर बाद साक्ष्य अन्तिम निर्णय पश्चात् किया जाना है। अप्रार्थी रिकॉडेड खातेदार है एवं रिकॉर्डेड खातेदार की भूमि पर स्थगन जारी किया जाना न्यायिक दृष्ट से उचित प्रतीत नहीं होता है। पृथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, एवं अपरिमेय क्षति का बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में न होकर अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिंनाक 24.12.2025 को लिखवाया जाकर उभ्यपक्ष को सुनाया गया।

(नयन गौतम) आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर